



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

आयोग भवन, हरिद्वार—249404

Website: www.ukpsc.gov.in

संख्या :: 313 /04/E-3(E-1)/ DR/RO-ARO (Account)/2017-18, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी
(लेखा) / सहायक समीक्षा अधिकारी अधिकारी (लेखा) परीक्षा—2021

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि “उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी (लेखा) / सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा—2021” हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/E-1/DR/2020-21, दिनांक 05 मार्च, 2021 के सापेक्ष दिनांक 01 अगस्त, 2021 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या:-40 / 11 / स0अधि0 / स0स0अधि0(लेखा)प्रा0 / गोपन—02 / 2021—22 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा घोषित किया गया है।

2. प्रारम्भिक परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाईन वरीयता प्रपत्र में पदवार वरीयता क्रमांक अंकन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित समस्त शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी अभिलेख मंगाये जा रहे हैं। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए निर्धारित अंतिम तिथि तक पदवार ऑनलाइन वरीयता क्रमांक का अंकन कर मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

3. मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी, विज्ञापन के सापेक्ष भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए उसकी स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये अपने दावों के समर्थन में समस्त शैक्षणिक/आरक्षण /अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) की सायं 6.00 बजे तक (कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें :-

- 1- हाईस्कूल प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
- 2- इण्टरमीडिएट प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
- 3- स्नातक उपाधि एवं अंक—तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
- 4- स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक—तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
- 5- अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण—पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष)।
- 6- आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण—पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष)।

7- विज्ञापन के बिन्दु सं0-5 में उल्लिखित "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख / प्रमाण पत्र।

8- केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अनापत्ति प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र (Application) की संबंधित कार्यालय में प्राप्ति (Receipt) की सत्यप्रतिलिपि।

9- यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

10- ऑलनाईर्स वरीयता प्रपत्र की प्रिंटआउट प्रति।

11- मुख्य परीक्षा हेतु जमा किये गये शुल्क की रसीद।

4. वरीयता क्रमांक का ऑनलाइन अंकन करने, मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति व समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं:-

i	वरीयता क्रमांक का ऑनलाइन अंकन करने, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा करने तथा विज्ञापन के सापेक्ष भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	01 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)
ii	वरीयता क्रमांक का ऑनलाइन अंकन करने, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा करने तथा विज्ञापन के सापेक्ष भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	16 अक्टूबर, 2021 (शनिवार) रात्रि 11:59:59 बजे तक
iii	ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि	27 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) सायं 6 बजे तक

5. उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी (लेखा) / सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा-2021 हेतु जारी विज्ञापन संख्या:: A-1/E-1/DR/2020-21, दिनांक 05 मार्च, 2021 के बिन्दु संख्या-16(ख)(2) के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार निम्नवत् मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य हैं-

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	₹0 200	₹0 26.55	₹0 226.55
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	₹0 200	₹0 26.55	₹0 226.55
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	₹0 80	₹0 26.55	₹0 106.55
04.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	₹0 150	₹0 26.55	₹0 176.55
05.	शारीरिक दिव्यांगजन	कोई शुल्क नहीं	₹0 26.55	₹0 26.55
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट:- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/ उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा- सामान्य श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या

अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

6. यद्यपि प्रश्नगत विज्ञापन द्वारा विज्ञापित पदों में लम्बवत आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु तथा क्षेत्रिज आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग एवं उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं हैं, तथापि उक्त श्रेणी/उपश्रेणी के सापेक्ष आवेदन करते समय अधिकतम आयुसीमा/शुल्क में प्राप्त छूट हेतु संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

7. विज्ञापन संख्या:: A-1/E-1/DR/2020-21, दिनांक 05 मार्च, 2021 के 'अति महत्वपूर्ण निर्देश' के बिन्दु संख्या-11 के अनुसार मुख्य परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny), विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत मुख्य परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

8. विज्ञापन संख्या:: A-1/E-1/DR/2020-21, दिनांक 05 मार्च, 2021 के बिन्दु संख्या- 16 (ख) के उपबिन्दु 15 के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन वरीयता प्रपत्र में पदवार वरीयता का अंकन करना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन वरीयता प्रपत्र में पदवार वरीयता कमांक का अंकन नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि वे अभ्यर्थी उस पद के सापेक्ष चयन किये जाने हेतु इच्छुक नहीं हैं तथा उन अभ्यर्थियों को उस पद विशेष के सापेक्ष अन्तिम चयन परिणाम में चयन हेतु विचारित नहीं किया जायेगा।

9. विज्ञापन संख्या:: A-1/E-1/DR/2020-21, दिनांक 05 मार्च, 2021 के 'अति महत्वपूर्ण निर्देश' के बिन्दु संख्या-12 के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन परीक्षा शुल्क आयोग द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित अन्तिम तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र के लिफाफे पर "उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा-2021" एवं अनुक्रमांक का अंकन अवश्य करें।

11. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि तक जमा न करने तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति (समस्त संलग्नकों सहित) दिनांक **दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 (बुधवार)** की सायं 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन मात्र आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

Sd/-
(कर्मन्द्र सिंह)
सचिव।